During the visit of Shri Sunil Singhi, Member, NCM to Sirohi (Rajasthan) on 7th July, 2017 the following issue had been raised by Muslim Samaj :

"Rajasthan Government had allotted 2 *beegha* land to Muslim Samaj for construction of Minority communities' hostel in 2012-13. Muslim Samaj had deposited Rs. 3,78,785/- as the cost of land with the Municipal Council, Sirohi. Due to operation of Model Code of Conduct for Assembly elections 2013, the Rajasthan Government had instructed the Municipal Council, Sirohi to postpone further action in the matter. Since then a period of 4 years has elapsed, but further action for allotment of land and execution of deed has not been taken so far. Muslim Samaj has requested to expedite allotment of land;" (Refer Sirohi Report dated 7.7.2017).

2. Shri Singhi pursued the matter with the Government of Rajasthan telephonically as well as in writing. A copy each of the letters dated 17th July, 2017 and 31 August, 2017 is enclosed. (Annexure I and II).

3. After continuous persuasion, the Government of Rajasthan has finally issued the orders to the Municipal Corporation, Sirohi for execution of the land lease deed in favour of Muslim Samaj. A copy of the order dated 15.9.2017 is enclosed. (Annexure III).

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES

Meeting of the Commission
4th October, 2017

Agenda item No. 2

Subject: Success Stories

During the visit of Shri Sunil Singhi, Member, NCM to Sirohi (Rajasthan) on 7th July, 2017 the following issue had been raised by Muslim Samaj :

"Rajasthan Government had allotted 2 *beegha* land to Muslim Samaj for construction of Minority communities' hostel in 2012-13. Muslim Samaj had deposited Rs. 3,78,785/- as the cost of land with the Municipal Council, Sirohi. Due to operation of Model Code of Conduct for Assembly elections 2013, the Rajasthan Government had instructed the Municipal Council, Sirohi to postpone further action in the matter. Since then a period of 4 years has elapsed, but further action for allotment of land and execution of deed has not been taken so far. Muslim Samaj has requested to expedite allotment of land;" (Refer Sirohi Report dated 7.7.2017).

2. Shri Singhi pursued the matter with the Government of Rajasthan telephonically as well as in writing. A copy each of the letters dated 17th July, 2017 and 31 August, 2017 is enclosed. (Annexure I and II).

3. After continuous persuasion, the Government of Rajasthan has finally issued the orders to the Municipal Corporation, Sirohi for execution of the land lease deed in favour of Muslim Samaj. A copy of the order dated 15.9.2017 is enclosed. (Annexure III).

Annexure I

सुनील सिंघी
सदस्य
SUNIL SINGHI
Member

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
National Commission For Minorities

संख्या एन सी एम / 1 / एसएस/2017

17 जुलाई, 2017

प्रिय श्री श्रीचन्द्र कृपलानी जी,

राजस्थान सरकार ने सिरोही जिले में छात्रावास निर्माण, शैक्षणिक कार्य एवं स्कूल निर्माण हेतु मुस्लिम समाज को 2 बीघा जमीन आबंटित करने का आदेश दिया था तथा इस आदेश के अनुकरण में मुस्लिम समाज द्वारा सिरोही नगर परिषद में रु 378785/- की राशि जमा करवा दी थी। तत्पश्चात् निदेशालय ने अपने आदेश क्रमांक एफ 7 (इ) डी एल बी / 13 / 10751-57 दिनांक 14.10.21013 के माध्यम से आदेश दिया था कि विधान सभा आम चुनाव 2013 की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। अतः विभागीय आदेश के परिप्रेक्ष्य में भूमि के आबंटन बाबात आबंटन पत्र जारी करना, लीज की राशि जमा करना, लीजडीड जारी करना एवं कब्जा सुपुर्द किए जाने की कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक निष्पादित नहीं की जावे।

इस विषय में नगर परिषद, सिरोही ने अपने पत्र क्रमांक नपसि/भूमि/2016-17/3734 दिनांक 29 सितम्बर 2016 के माध्यम से राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग को सूचित किया था कि काफी समय बीत जाने के कारण संस्था बार बार आबंटन पत्र जारी करने की मांग कर रही है, इसलिए उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। पत्र की प्रतिलिपि तत्काल संदर्भ हेतु संलग्न है। इस मामले पर कार्यवाही अभी भी स्वायत्त शासन विभाग में लम्बित है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य होने के नाते दिनांक 7 जुलाई, 2017 को मैंने राज्य के अल्पसंख्यक विभाग के तत्वावधान में सिरोही जिले में अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं से अवगत होने हेतु जन सुनवाई आयोजित की थी तथा वहां मुसलिम समाज ने इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही किए जाने हेतु अनुरोध किया था। मैंने इस मामले में नगरपालिका के सभापति से दूरभाष पर विचार-विमर्श कर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने का आश्वासन दिया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले में कार्यवाही करवाकर मुस्लिम समाज को राजस्थान द्वारा दिए गए आदेश के अनुसरण में सिरोही में जमीन आबंटन के आदेश शीघ्रातिशीघ्र जारी करवाने का कष्ट करें।

सादर

जारी दिनांक 77
Issued
दिनांक 17/07/17
Date

भवदीय
(सुनील सिंघी)

श्री श्रीचन्द्र कृपलानी,
स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग मंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर

Please Issue
17/7/2017

लोक नायक भवन, (पांचवी मंजिल) खान मार्किट, नई दिल्ली–110 003
Lok Nayak Bhawan, (Fifth Floor), Khan Market, New Delhi-110 003
दूरभाष/Tel. : 24621177 फैक्स/Fax : 011-24698410

Annexure II

सुनील सिंघी
सदस्य
Sunil Singhi
Member

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
National Commission For Minorities

संख्या एन सी एम / 1 / एसएस/2017 31 अगस्त, 2017

आदरणीय श्रीमती वसुन्धरा राजे जी,

राजस्थान सरकार ने सिरोही जिले में छात्रावास निर्माण, शैक्षणिक कार्य एवं स्कूल निर्माण हेतु मुस्लिम समाज को 2 बीघा जमीन आबंटित करने का आदेश दिया था तथा इस आदेश के अनुकरण में मुस्लिम समाज द्वारा सिरोही नगर परिषद में रू 378785/- की राशि जमा करवा दी थी। तत्पश्चात् निदेशालय ने अपने आदेश क्रमांक एफ 7 (ड) डी एल बी / 13 / 10751-57 दिनांक 14.10.21013 के माध्यम से आदेश दिया था कि विधान सभा आम चुनाव 2013 की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। अतः विभागीय आदेश के परिप्रेक्ष्य में भूमि के आबंटन बाबात आबंटन पत्र जारी करना, लीज की राशि जमा करना, लीजडीड जारी करना एवं कब्जा सुपुर्द किए जाने की आर्यवाही अग्रिम आदेशों तक निष्पादित नहीं की जावे।

इस विषय में नगर परिषद, सिरोही ने अपने पत्र क्रमांक नपसि/भूमि/2016-17/3734 दिनांक 29 सितम्बर 2016 तथा 25 अगस्त, 2017 के माध्यम से राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग को सूचित किया था कि काफी समय बीत जाने के कारण संस्था बार बार आबंटन पत्र जारी करने की मांग कर रही है, इसलिए उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। पत्र की प्रतिलिपि तत्काल संदर्भ हेतु संलग्न है। इस मामले पर कार्यवाही अभी भी स्वायत्त शासन विभाग में लम्बित है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य होने के नाते दिनांक 7 जुलाई, 2017 को मैंने राज्य के अल्पसंख्यक विभाग के तत्वावधान में सिरोही जिले में अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं से अवगत होने हेतु **जन सुनवाई आयोजित** की थी तथा वहां मुसलिम समाज ने इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही किए जाने हेतु अनुरोध किया था। मैंने इस मामले में नगरपालिका के सभापति से दूरभाष पर विचार-विमर्श कर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने का आश्वासन दिया है। इस संबंध में मैंने 17 जुलाई, 2017 को स्वायत्त शासन व नगरीय विकास मंत्री श्री श्रीचन्द्र कृपलानी जी को भी एक पत्र लिखा था (प्रतिलिपि संलग्न) परन्तु अभी तक इस मामले में कार्यवाही लम्बित है।

अतः आपसे मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि इस मामले में त्वरित कार्यवाही करवाकर मुस्लिम समाज को सिरोही में जमीन आबंटन के आदेश शीघ्रातिशीघ्र जारी करवाने का कष्ट करें।

सादर

भवनिष्ठ

(सुनील सिंघी)

श्रीमती वसुन्धरा राजे जी,
मुख्य मंत्री,
राजस्थान सरकार,
जयपुर - 302006

Pl. issue by Speed Post

लोक नायक भवन, (पांचवी मंजिल) खान मार्किट, नई दिल्ली - 110 003
Lok Nayak Bhawan, (fifth Floor) Khan Market, New Delhi - 110 003
दुरभाष/Tel. : 24621177 फैक्स/Fax : 011-24698410
Email : singhisunil@yahoo.com • Website : www.ncm.nic.in

Annexure III

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाइन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : भूमि / एफ.7(ड)( ) / डीएलबी / 17 / दिनांक :–

आयुक्त,
नगर परिषद,
सिरोही।

विषय :–मुस्लिम समाज एवं मेघवाल समाज को छात्रावास हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

प्रसंग :–आपका पत्र स. 3732–3736 दिनांक 25.08.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि विभागीय आदेश क्रमांक एफ 7 (ड) ( ) डीएलबी / 13 / 10626–32 दिनांक 04.10.2013 के द्वारा मुस्लिम समाज सिरोही एवं मेघवाल समाज, सिरोही को छात्रावास निर्माण, शैक्षणिक कार्य एवं स्कुल निर्माण हेतु नगर परिषद् सिरोही के खसरा संख्या 709 एवं 710 मे से 2–2 बीघा भूमि (पृथक–पृथक) आरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर पर एवं नियमानुसार देय 99 वर्षीय लीज पर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

विभागीय आदेश सं. 10750 –57 दिनांक 14.10.2013 के द्वारा उपरोक्त संस्थाओं को भूमि के आवंटन बाबत् आवंटन पत्र जारी करने, लीज की राशि जमा कर लीज डीड जारी करने एवं भूमि का कब्जा सुपूर्द किये जाने की कार्यवाही अग्रीम आदेशों तक निष्पादित नहीं करने के निर्देश प्रदान किये गये थे। प्रकरण में चुनाव समाप्ति के पश्चात् उपरोक्त संस्थाओं द्वारा भूमि आवंटन की कार्यवाही करने हेतु मार्गदर्शन / आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

चूंकि उक्त दोनों प्रकरणों में राज्य सरकार की स्वीकृति से भूमि आवंटन किया गया है, केवल आचार संहिता के कारण आगामी आदेश तक लीजडीड जारी करने पर रोक लगाई थी। वर्तमान में चुनाव आचार संहिता प्रभाव में नहीं रही है।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि उक्त दोनो समाजों के भूमि आवंटन के मामलों में आवंटन राशि एवं नियमानुसार लीजराशि सम्पूर्ण जमा करने में कोई शेष राशि हो तो पूर्ण राशि जमा कर लीजडीड जारी करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

यह निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

sd
(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : भूमि / एफ.7(ड)( ) / डीएलबी / 17 / 4925–29 दिनांक :– 15/09/201

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर।
4. सभा, नगर परिषद, सिरोही।
5. सुरक्षित पत्रावली

(मुकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त निदेशक

79

rs-IDR.17